प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-

(पत्रांक-216/2024 दिनांक 03.08.2024)

दिनांक-03.08.2024 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

"थाना को0 हाटा" क्षेत्रान्तर्गत छपरा भगत कट NH 28 के पास पुलिस मुठभेड़ में दो पशु तस्कर घायल, पिकप वाहन से तस्करी कर वध हेतु ले जायी जा रही सात (07) राशि गोवंशीय पशु, अवैध शस्त्र व 10500/ रुपये नगद, एक अदद लोहे का धारदार बांका बरामदः-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री सन्तोष कुमार मिश्रा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री अभिनव त्यागी के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कसया श्री कुन्दन कुमार सिंह के नेतृत्व में गोवंशी पशुओं की तस्करी के विरुध्द चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.08.2024 को प्रभारी निरीक्षक को0 हाटा, प्र0नि0 साइबर थाना,प्र0नि0 को0 पडरौना, प्र0नि0 कसया, प्रभारी स्वाट मय पुलिस टीम द्वारा थाना को0 हाटा क्षेत्रान्तर्गत छपरा भगत कट NH 28 के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान गोरखपुर की ओर से एक पिकप वाहन आती दिखाई दी जिसको पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो उसमें सवार अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से गोली चलायी गयी जवाबी प्रतिरक्षा में दो अभियुक्त *1. अब्दुल शाह पुत्र अमीन शाह निवासी बाजू पट्टी बैजनाथपुर थाना कसया जनपद कुशीनगर 2. सुफियान आलम उर्फ महमुद पुत्र औरंगजेब निवासी कुचिया मठिया थाना पटहेरवा कुशीनगर* घायल हो गये जिनको पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर तुरन्त नजदीकी हस्पताल ले जाया गया।

बरामदगी-

1.दो(02)अदद देशी तमन्चा 315 बोर

2.छः अदद (06) जिन्दा कारतूस 315 बोर

3.चार(04) अदद खोखा कारतूस 315 बोर

4. एक अदद पिकप वाहन नं0-UP-57-T-6170

5.10500/रुपये नगद।

6.सात (07) राशि गोवंशीय पशु

7.अपराध में प्रयुक्त एक एंड्रॉयड फोन

8.एक अदद लकड़ी का ठीहा

9. एक अदद रस्सी

10.एक अदद धारदार लोहे का बांका की बरामदगी की गयी।

बरामदगी /गिरफ्तारी के आधार पर थाना को0 हाटा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 624/2024 धारा 109/61 बीएनएस व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 3/4/25/27 आयुध अधिनियम थाना को0हाटा जनपद कुशीनगर ।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.अब्दुल शाह पुत्र अमीन शाह निवासी बाजू पट्टी बैजनाथपुर थाना कसया जनपद कुशीनगर (घायल)

2.सुफियान आलम उर्फ महमुद पुत्र औरंगजेब निवासी कुचिया मठिया थाना पटहेरवा कुशीनगर (घायल)

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्र0नि0 हाटा श्री राजप्रकाश सिंह मय टीम जनपद कुशीनगर

2.प्र0नि0 साइबर थाना श्री मनोज कुमार पन्त मय टीम जनपद कुशीनगर

3.प्र0नि0 को0 पडरौना श्री सुशील कुमार शुक्ला मय टीम जनपद कुशीनगर

4.प्र0नि0 कसया श्री गिरीजेश उपाध्याय मय टीम जनपद कुशीनगर

5.उ0नि0 श्री आलोक यादव प्रभारी स्वाट मय टीम जनपद कुशीनगर

नोट-श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा द्वारा गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 25,000/- रुपये का पुरस्कार दिया गया है।

अन्तर्राज्यीय टप्पेबाजी/चोरी गैंग का पर्दाफाश, चोरी गये ज्वेलरी व नगदी (कुल कीमत लगभग 02 लाख रुपये) के साथ चार महिलाओं को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष मिश्रा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री अभिनव त्यागी के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी कसया कुशीनगर श्री कुन्दन सिंह नेतृत्व में अपराध व अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 02.08.2024 को थाना कोतवाली हाटा पुलिस द्वारा देवरिया मोडके पास से बिहार से आकर विभिन्न स्थानो पर घूमघूम कर ई-रिक्शा मे भोली भाली महिलाओ का ध्यान भटकाकर टप्पेबाजी करने वाले महिला गैंग के 04 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। तथा इनके कब्जे से चोरी के ज्वेलरी व नगदी (कुल कीमत लगभग 02 लाख रुपये) की बरामदगी की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 621/2024 धारा 303(2)/317(2) बी.एन.एस पंजीकरण कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध का तरीका-

उक्त महिला गैंग जो कि बिहार की रहने वाली है बिहार से आकर कस्बा तथा भीड़- भाड़ वाले भिन्न-भिन्न स्थानो पर ई-रिक्शो में सवारी के रूप मे बैठकर रिक्शे में बैठी अन्य भोली-भाली महिलाओं/ सवारियों का ध्यान भटकाकर उनका गहने व सामान चोरी कर लेती है।

पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

1-मु0अ0सं0 621/2024 धारा 303(2)/317(2) बी.एन.एस थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर

2-मु0अ0सं0 409/2024 धारा 379 भादवि थाना कसया जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्ता-

1-यशोदा देवी पत्नी रामपत साकिन- कोरान सराय जिला भोजपुर बिहार

2-प्रियंका पुत्री मगरु साकिन- कोरान सराय जिला भोजपुर बिहार

3-करीशा पुत्री राजकुमार साकिन- कोरान सराय जिला भोजपुर बिहार

4-ऐश्वर्या पुत्री तपेश्वर साकिन- कोरान सराय जिला भोजपुर बिहार

***बरामदगी का विवरण–*(कीमत लगभग 02 लाख रुपये)**

1-01 अदद मंगल सूत्र पीली धातु काले पीले मोती के माला मे

2-06 जोडा बिछुआ सिल्वर धातु का

3-01 जोडी कान की बाली पीली धातु

4-01 जोडी कान का टप्स पीली धातु का

5-एक अदद पायल सिल्वर धातु का

6-एक अदद नाक की कील पीले धातु की

7-19,500/- रु0 नगद।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-प्र0नि0 राजप्रकाश सिंह थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर

2-उ0नि0 अनुराग शर्मा थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर

3-उ0नि0 श्री गौरव राय थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर

4-महिला उ0नि0 प्रीती वर्मा थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर

5-म0का0 सरिता थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर

6-म0का0 आकांक्षा थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर

48 घण्टे के अभियान में कुल 231 अभियुक्त गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध व पुरस्कार घोषित, गैंगेस्टर, जिलाबदर एवं वांछित / वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में आज दिनांक-03.08.2024 को विगत 24 घण्टे में जनपदीय पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए कुल 118 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसी क्रम में पिछले 48 घण्टे में कुल 231 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 70 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान- 00 वाहन

2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-57, व्यक्ति-275

3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(124)

4- जनपद में कुल गिरफ्तारी–(कुल-194)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर